न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 403/2019

प्रार्थीगण

1 चैनसिंह 2 नखतसिंह पिसरान नारायणसिंह 3 रतनकंवर पत्नी नारायणसिंह 4 जेठूसिंह 5 रावतसिंह 6 श्रवणसिंह पिसरान अर्जुनसिंह 7 ढेलकंवर पत्नी अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर।

बनाम

अप्रार्थी

1 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 तहसीलदार बाडमेर अप्रार्थी।

आदेश

दिनांक 18/03/20

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बाडमेर शहर पटवार हल्का बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1591, 1592, 1593, 2768/1431, 2776/1431 रकबा क्रमशः 0.03, 1.00, 0.02, 89.00, 09.04 बीघा कुल रकबा 99.09 बीघा भूमि में नामान्तकरण संख्या 1/1 से रूघसिंह पुत्र झण्डसिंह जाति राजपूत के नाम खसरा संख्या 1431/1 रकबा 21.00 बीघा, खसरा संख्या 1431/2 रकबा 170.10 बीघा, खसरा संख्या 1431/3 रकबा 35.12.10 बीघा कुल रकबा 227.02.10 बीघा भूमि दर्ज हुई थी। लेकिन लठ्ठा ट्रेस में तरमीम कम कर दी गई। वर्तमान जमाबन्दी में खसरा संख्या 2768/1431 रकबा 89.00 बीघा दर्ज है। मौके पर प्रार्थीगण का उतनी भूमि पर कब्जा है लेकिन लठ्ठा ट्रेस में भूमि की तरमीम कम की गई। उक्त तरमीम को शुद्धि के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार बाडमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भू.अ./2020/612 दिनांक 03.03.2020 द्वारा अवगत करवाया कि मौजा बाडमेर शहर पटवार मण्डल बाडमेर शहर के खसरा संख्या 1591, 1592, 1593, 2768/1431, 2776/1431 रकबा क्रमशः 0.03, 01.00, 0.02, 89.00, 09.04 बीघा कुल रकबा 99.09 बीघा किस्म बारानी सोयम श्रीमान् जिला कलक्टर बाडमेर के आदेश क्रमांक 3201 दिनांक 04.08.1959 के द्वारा ना. क.सं. 1/1 से रूगसिंह पुत्र झण्डसिंह जाति राजपूत के खातेदारी में दर्ज हुई थी। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 1431/2 नया खसरा संख्या 2768/1431 रकबा 170.10 बीघा में से खातेदारों द्वारा बेचान करने के बाद वर्तमान जमाबन्दी में खसरा संख्या 2768/1431 रकबा 89.00 बीघा चैनसिंह वगैराह की खातेदारी में दर्ज है जथा मौके पर भी खातेदार 89.00 बीघा पर काविज है लेकिन नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम कम की हुई है। जमाबन्दी एवं

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

कब्जा काश्त अनुसार संलग्न नक्शा में बताई प्रस्तावित तरमीम परिशिष्ठ 'अ' अनुसार शुद्ध किये जाने की अनुसंशा की है।

प्रकरण में तहसीलदार बाडमेर को सुना गया व तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त मौका प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि जमाबन्दी में वर्णित रकबा एवं मौके पर नक्शा में अंकित रकबा में अन्तर है, जिसे शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट व मौका प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित तरमीम ग्राम बाडमेर शहर पटवार मण्डल बाडमेर शहर के खसरा संख्या 1591, 1592, 1593, 2768/1431, 2776/1431 रकबा क्रमशः 0.03, 01.00, 0.02, 89.00, 09.04 बीघा कुल रकबा 99.09 बीघा में, जो सलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में बरंग लाल (लाईन) से प्रदर्शित अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख व लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त करें। प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

18.3.20

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 18/03/20 को सरें इजलास सुनाया गया।

18.3.20

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Scanned with CamScanner